संख्या-113/2015/1785/41-15-157 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2015**

विषय- जिला सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के 08 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-747/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनांक 22-07-2015, पत्र सं0-750/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनांक 23-07-2015 तथा पत्र सं0-784/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनांक 27-07-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के निम्नलिखित 08 स्थलों के पर्यटन विकास का कार्य कराये जाने हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजीपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए निम्न विवरणानुसार उक्त कार्यो हेतु कुल लागत रू0 132.02 लाख (रूपये एक करोड बत्तीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये रू0 132.02 लाख (रूपये एक करोड बत्तीस लाख दो हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कार्य का नाम/जनपद गाजीपुर**	**स्वीकृत लागत**	**आवंटन**
1	मोती बाबा स्थल, काली माता स्थल, मकडा ग्राम पथरा भवौरा का पर्यटन विकास।	22.54	22.54
2	ग्राम ताजपुर कुर्रा में स्थित ऐतिहासिक खानख्वाह ए बख्सिया अस्तान बदरिया का पर्यटन विकास।	5.74	5.74
3	दिलदारनगर बाजार में रामलीला मैदान का पर्यटन विकास तथा हाल/मंच का निर्माण।	15.40	15.40
4	संतोषी माता मन्दिर, सेवराई का पर्यटन विकास।	8.23	8.23
5	डोहला ब्रह्म स्थल का पर्यटन विकास।	28.95	28.95
6	रकसहा में काली मन्दिर का पर्यटन विकास।	9.55	9.55
7	निरहु का पुरा पंचायत भवन के पास तालाब का पर्यटन विकास।	21.61	21.61
8	महेशरा तालाब का पर्यटन विकास।	20.00	20.00
योग		**132.02**	**132.02**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://srisanadesh.up.nic.in

(3) कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) कार्यों की मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड गाजीपुर/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी का होगा।

(5) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(7) योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-113/2015/(1)/41-2015-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, वाराणसी/ जिलाधिकारी, गाजीपुर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, गाजीपुर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड गाजीपुर।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in